रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1185] नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 30, 2007/आश्विन 8, 1929
No. 1185] NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 30, 2007/ASVINA 8, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2007

का.आ. 1685(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603 (अ) के माध्यम से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था ।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा की मार्च, 2007 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 30 सितम्बर, 2007 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गयी है । अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा) गुटों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में जबरन धन वसूली तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों में लिप्त रहना जारी रखा गया है । ये संगठन इन दो जिलों का प्रयोग पड़ौसी देशों से शस्त्र एवं गोलाबारूद लाने के लिए भी कर रहे हैं । नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के दो गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ गयी है ।

4. अत: केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना 31 मार्च, 2008 तक, बशर्ते कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रहेगी ।

[फा. सं. 13/27/99-एनई-II]
वी. एन. गौड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2007

S.O. 1685(E).—Tirap and Changlang Districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603 (E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. Supreme Court of India vide their judgment dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, inter alia, that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'distrubed areas' was last reviewed in March, 2007 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 30th September, 2007.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to indulge in extortion and acts of violence including those directed against Security Forces in these two districts of Arunachal Pradesh. These outfits have also been using these two districts for transhipment of arms and ammunition from neighbouring countries. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) has also vitiated the law and order situation in these two districts.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh is disturbed and the conditions exist for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force up to 31st March, 2008, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE-II]

V. N. GAUR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.